(43)

(35)

53

(20)

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग

क्रमांक [illegible]

जयपुर दिनांक 18.3.2011

आदेश

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा शंकास्पद / फर्जी एवं अनधिकृत रूप से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं मे प्रवेश तथा राजनैतिक चुनाव एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ ले रहे है, जिससे वास्तविक अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति वंचित रह जाते है। इस संबंध मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में छानबीन समिति गठन करने के निर्णय दिये है। अतः ऐसे शंकास्पद / फर्जी प्रमाण पत्रों को जारी होने तथा दुरूपयोग करने के प्रकरणों को रोकने के लिए निम्नानुसार राज्य स्तरीय छानबीन समिति (State Level Scrutiny Committee) का गठन किया जाता है.–

1	प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,	अध्यक्ष
2	आयुक्त / निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,	सदस्य
3.	शासन सचिव, जनजातीय विकास विभाग	सदस्य

<u>राज्य स्तरीय छानबीन समिति के कार्य</u> (Functions/ Duties of the State Level Scrutiny Committee)–

राज्य स्तरीय छानबीन समिति के निम्न कार्य होंगे-

1. जाति प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में समय समय पर नीति निर्धारित करना तथा उसमें परिवर्तन करना।
2. शंकास्पद प्रमाण पत्रों की छानबीन करना, सुनवाई करना, प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्यवाही करना।
3. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करना।
4. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने के कारण जिसे सजा हुई हो उस उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायक (Unfit) घोषित करना।
5. गलत प्रमाणपत्र के मामले में नियोक्ता / शैक्षिक संस्थाओं के संस्था प्रधान को इसके बारे में जानकारी देकर संबंधित व्यक्ति को वर्तमान पद से बर्खास्त करने के आदेश करना।
6. विश्लेषण समिति के कार्यक्षेत्र में आनेवाली अन्य प्रवृतियां।
7. शंकास्पद जाति प्रमाणपत्र के मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू करके अन्तिम निर्णय करना।
8. विजिलेन्स सैल के सतर्कता अधिकारी को संबंधित जगह पर जांच करने की सूचना देना और उसका ब्यौरा प्राप्त करना।
9. विजिलेन्स सैल के कामकाज / कर्मचारियों की नियुक्ति आदि करना।

PTO:

राज्य स्तरीय छानबीन समिति की संरचना (Powers of State Level Scrutiny Committee)

राज्य स्तरीय छानबीन समिति के निम्न अधिकार होंगे

1 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए [illegible]/फर्जी एवं अप्रमाणित [illegible] से जारी जाति प्रमाण पत्रों की छानबीन करके उसे यथावत रखने या रद्द करने की सम्पूर्ण शक्तियां समिति को होंगी।

2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए जारी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी रहेगा। यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद–226 के प्रावधान के तहत की गई कार्यवाही के अध्याधीन होगा। माननीय उच्च न्यायालय ऐसे प्रकरणों का निराकरण जहां तक सम्भव हो यथाशीघ्र करेगा जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील नहीं की जा सकेगी। परन्तु संविधान के अनुच्छेद–136 के अध्याधीन प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकेगी।

3 शंकास्पद प्रमाणपत्रों के मामले में बचाव का उचित मौका देना होगा।

4 बचाव की समय–मर्यादा में बढ़ोत्तरी की जा सकती है।

5 पेश किये गये आधार/प्रमाण अमान्य करना।

6 गलत प्रमाणपत्र धारण करने के मामले को नैतिक अधःपतन मानकर ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायक (Unfit) घोषित करना।

7. सजा के लिये कानूनी शिकायत दर्ज करवाना।

जो प्रमाण पत्र छानबीन समिति के समक्ष छानबीन हेतु प्रस्तुत किये जावें, उनका निराकरण छानबीन समिति यथासंभव शीघ्र किन्तु अधिकतम दो माह की अवधि में करेगी। यदि किसी मामले का निपटारा दो माह की अवधि में नहीं हो सकता हो तो छानबीन समिति उक्त अवधि को कारण अभिलेखित करते हुए अधिकतम छः माह तक और बढ़ा सकेगी।

जाति प्रमाण पत्रों के अभिलेखों का संधारण–

जाति प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिनका संधारण जिस प्रकार से राजस्व प्रकरणों में दर्ज किया जाता है, उसी तरह से जाति प्रमाण पत्रों को भी दर्ज किया जाना चाहिये. जिस कागज में जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाये, वह अच्छी किस्म का लेमिनेटेड हो। जाति प्रमाण पत्र की काउण्टर फाइल, अनुक्रमांक, वर्णन, प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, मुद्रा, तिथि स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिये।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव

45

54

क्रमांक: प.6(10)प.वि / अनु-3/2011 जयपुर दिनांक [illegible].2011

प्रतिलिपि निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
5. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली
12. समस्त संभागीय आयुक्त ।
13. समस्त जिला कलक्टर ।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक ....।
15. सचिव, समस्त आयोग / बोर्ड ....।
16. उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ....

नोट - भविष्य में समिति से संबंधित पत्र व्यवहार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से करें।

अनुभागाधिकारी

40